संख्या-783/2026/1930/26-27-सिं0-4/001-58(डब्ल्यू)/2008टी0सी0-ई-1749052

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 23 **अक्टूबर**,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अन्तर्गत सर्वेक्षण मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ**0**प्र**0**, लखनऊ के पत्र संख्या-110/कार्य0पू0दिग्द0/सर्वे0/2026-27, दिनांक 21.09.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-94 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4701-80-005-10-14-42 (सर्वेक्षण तथा अनुसंधान मद) के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (बेतवा), झांसी (निर्दिष्ट बाधों के सर्वेक्षण कार्य) हेतु प्राविधानित धनराशि रू**0 2500.00** लाख के सापेक्ष रु**0 2200.90** लाख तथा मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), लखनऊ (निर्दिष्ट नदियों के गेज एवं **RTDAS** के **AMC** कार्य) हेतु प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू**0 800.00** लाख अर्थात कुल धनराशि रू**0 3000.90** (रूपये तीस करोड़ नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु उक्त संगठनों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र एवं कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व कार्यकारी खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ताओं का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **30,00,90,000 (** रुपये तीस करोड़ नब्बे हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2026-27** के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4701800051014** सम्बद्ध कार्य **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **4/2026/**बी-**1-812/**दस-**2026-231/2026,** दिनांक- **28-**मार्च**, 2026** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
7- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, झांसी एवं लखनऊ।
10- अनु सचिव/नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेन्ट सिस्टम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
12- नियोजन अनुभाग-3
13- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।